

# फर्द अहकाम

बनाम

किंक आज्ञा या  
कार्यवाही  
2/23

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

पतावली जेश हुई। वादी व वादी वकील को  
लायकाल 6pm तक बार-बार आवाज लगाने के  
बावजूद कोई हाजिर अदालत नहीं आया। न ही  
अन्य कोई वादी की ओर से पेशी करने हेतु हाजिर  
अदालत का। अतः दावा अदम हाजरी एवं अदम  
पेशी में खारिज किया जाता है। पतावली वाद खरील  
साथिल दफ्तर ही

**उपखण्ड अधिकारी**  
उपखण्ड, घाकसू (जयपुर)